तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./604/2003/नागौर रामदान बनाम पेमाराम	नम्बर व तारीख

एकलपीठ

श्री भवानीसिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित –
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी

––

निर्णय

दिनांकः– 17–10–2022

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील पारित निर्णय दिनांक 31–12–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/वर्तमान अप्रार्थीगण के द्वारा एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु आर0टी0ए0 विरूद्ध शेष प्रार्थी के विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, मकराना, जिला नागौर के समक्ष पेश किया गया। उक्त वाद पत्र के साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 का हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के सबंध में पेश किया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध स्थगन आदेश दिनांक 10.01.1994 पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसकों अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2002 को खारिज कर दी गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अप्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एक खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत आर0टी0ए0 के अन्तर्गत पेश कर हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के नामांतकरण संख्या 170 द्वारा प्रतिवादी–प्रार्थी एवं अन्य तरतीबी–अप्रार्थीगण ने विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम स्वीकृत करवा लिया जबकि उपरोक्त आराजी का कोई पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा बैचान नहीं हुआ तथा साथ ही विक्रय पत्र दो खरीददारान् के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./604/2003/नागौर रामदान बनाम पेमाराम	नम्बर व तारीख
	नाम निष्पादित किया गया है जबकि नामांतकरण तीन व्यक्तियों रामदान, बालूदान एवं इन्द्रदान के नाम स्वीकृत किया गया है। पूर्व में वादीगण उक्त आराजी के खातेदार रहे है। जिनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने के कारण एवं खरीददारान् के नाम दर्ज किये जाने के कारण यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। उक्त वाद के साथ वादीगण/अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का प्रस्तुत कर किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में वादीगण द्वारा जो दादरसी चाही गई थी वो दादरसी प्रथम दृष्टया वादीगण को प्रदान ही नही की जा सकती है एवं विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह माना है कि प्रार्थी संवत् 2014 से 2033 तक विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार रहे है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी उनका कब्जा रहा प्रतीत होता है। लेकिन यह पाइन्ट वाद में ही तय किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संवत् 2033 के वाद प्रार्थी का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर माना है तो उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुए पारित किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 31.12.2002 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों की पालना करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। क्योंकि हस्तगत वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसका पक्षकारों के मध्य घोषणा का वाद लम्बित है। एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रश्नगत नामांतकरण संख्या 170 को विवादग्रस्त माना है जिसके आधार पर प्रार्थी को खातेदारी मिली है। एवं उसी को विवादग्रस्त मानते हुए अप्रार्थी द्वारा खातेदारी की घोषणा चाही गई है। जो मूल वाद के निस्तारण के समय तय हो सकती है। तब तक विवादित आराजी का हस्तारण से पाबंद करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एवं वृहत न्यायिक दृष्टिकोंण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./604/2003/नागौर रामदान बनाम पेमाराम	नम्बर व तारीख
	के अनुरूप सही माना जाता है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् होना माना जा सकता। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत निगरानी में चस्पा नहीं होते है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–12–2002 की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भवानीसिंह पालावत)** सदस्य	